न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 98/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
विक्रम रावल पुत्रत्रत्र मोडाराम जाति रावल निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही		1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही 2. उप तहसीलदार कालन्द्री जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री गोविन्द सैन, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः–29.11.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 365/2016 मे उपं तहसीलदार कालन्द्री द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 एवं अपील संख्या 104/2016 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम कालन्द्री I के खसरा नम्बर 2197 रकबा 4.25 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर किस्म तेड की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया, जो विधि विरूद्ध रूप से जारी किया गया है। अपीलाण्ट अपने पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस हेतु अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि को नियमन करवाने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा काश्त होना जाहिर किया, जो दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किये,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट्स को एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना, किन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु पुरानी पत्रावली, खसरा गिरदावरी, खसरा परिवर्तनशील आदि की प्रतियां बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नही की तथा न ही ऐसी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे अपीलाण्ट का कब्जा साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान दर्ज करने बाबत कोई आदेश ही जारी नहीं किया, मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है। तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं करते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कालन्द्री I के खसरा नम्बर 2197 रकबा 4.25 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर किस्म तेड की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम कालन्द्री I के खसरा नम्बर 2197 रकबा 4.25 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर किस्म तेड की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा उप तहसीलदार कालन्द्री के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर उप तहसीलदार कालन्द्री द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का निम्बोल के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसमें गवाह ने उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कथन किये। उक्त साक्ष्य का अपीलाण्ट द्वारा किसी भी रूप में पुनःपरीक्षण नही किया है। इस हेतु स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समक्ष जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का न तो समय चाहा गया। अपीलाण्ट द्वारा अपील में जैर अपील विवादित आराजी पर स्वयं का पूर्वजों के समय से कब्जा होना स्वीकार किया है, जो जैर अपील विवादित आराजी पर उनके अतिक्रमण की स्वीकारोक्ति को प्रदर्शित करता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में अपीलाण्ट को जैर अपील विवादित आराजी से दिनांक 15.06.2016 को बेदखल किया गया था, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 365/2016 मे उपं तहसीलदार कालन्द्री द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 एवं अपील संख्या 104/2016 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही